जनपद – संतकबीरनगर   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 21.12.2024*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला के साथ छल कर अपहरण करने व इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए विवश करने क मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 963/2024 धारा 87/142/143(2)/115(2)/351(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र भारती पुत्र स्व0 सेतु निवासी बनकटवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को आरटीओ आफिस गेट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 18.12.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के साथ छल करके धोखे से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया,प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 21.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री मोतीचन्द यादव, हे0का0 गणेश प्रसाद, का0 अरविन्द कुमार।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 21.12.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2000 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता लहरी

पुत्र बुद्धिराम ढ़ाढ़ी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 145 वाहनों से 1,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 145 वाहनों से 1,64,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।